


23-01-23

विशाल के अंजी गडदे
पुलावली डिमक - 04-02-23 को
जाहिर पेश है

जाहिर शाह




04/02/03

PO on training

Put up on 13/02/23

13
02
23

103 म अग्र शाह
for
जाहिर शाह
13/2/23



Self attested
Jaahir

Self attested
Jaahir

दिनांक-06.02.2023

आज दिनांक-06.02.2023 को प्रार्थी/अभियुक्त हामिद अली द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा दिया गया था और मुकदमे में प्रसंगान होने के पश्चात प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में याचिका दायित किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.12.2019 अपारत करते हुये पुन पत्रावली पर परीक्षण करके आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है जिसकी कापी प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। और उपरोक्त पत्रावली में कल दिनांक-05.02.2023 को प्रार्थी को संबन्धित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय पर लाया गया था जबकि प्रार्थी के गिरफ्तारी अधिपत्र पर किसी भी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं बना था और गिरफ्तारी अधिपत्र पर धारा-504,506 भा०द०सं० लिखा है जबकि मुकदमे में आरोप पत्र धारा-419,420 भा०द०सं० में आया है। प्रार्थी को न्यायालय पर गिरफ्तारी के बाद पेश करने पर प्रार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग इस बात का देकर कि प्रार्थी दिनांक-06.02.2023 को न्यायालय के सम्म उपस्थित रहेगा, दिनांक-05.02.2023 को संबन्धित रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किया गया था। जिसके बावत प्रार्थी द्वारा आज न्यायालय के सम्म अपनी हाजिरी माफी प्रस्तुत किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि दिनांक-05.02.2023 को रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पत्रावली में संलग्न है इसके अतिरिक्त गैर जमानतीय अधिपत्र व जी०डी० भी संलग्न है। रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि मु० सं०-1415/21/2019 अ०धारा-504,506 भा०द०सं० थाना-पचपेडवा द्वारा अभियुक्त हामिद अली को गिरफ्तार करके न्यायालय के सम्म पेश किया गया। गिरफ्तारी अधिपत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर नहीं है। जिस दिन वारंट जारी हुआ था उस दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट अतकाश पर थी। साथ में संलग्न गैर जमानतीय अधिपत्र का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र मामला सं०-1415/21/2019 सरकार बनाम हामिद अली अतर्गत धारा-504,506 भा०द०सं० थाना-पचपेडवा जनपद- बलरामपुर का वारंट कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात पीठासीन अधिकारी दिनांक-04.02.2023 को प्रशिक्षण हेतु आई०आई०पी०ए०, दिल्ली गयी हुयी थी। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि दिनांक-04.02.2023 को निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र मामला सं०-1415/21/2019 पर धारा-504,506 भा०द०सं० का उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली धारा-419,420 भा०द०सं० से संबन्धित है।

अतः कार्यालय अहलमद यह स्पष्ट करे कि उनके द्वारा बिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के गैर जमानतीय अधिपत्र क्यों और किन परिस्थितियों में निर्गत किया गया एवं संबन्धित पैरोकार यह स्पष्ट करे कि उन्हें गैर जमानतीय अधिपत्र किसके द्वारा प्राप्त कराया गया और दिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के संबन्धित पैरोकार ने उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र क्यों प्राप्त किया और संबन्धित थाने को क्यों प्राप्त कराया।

उपरोक्त लिपिक एवं पैरोकार अपना-अपना लिखित स्पष्टीकरण अगली नियत पेशी तक प्रस्तुत करे ताकि विधिवत समुचित कार्यवाही की जा सके।

आदेश की एक-एक प्रति संबन्धित को प्रेषित की जाये।

दिनांक-06.02.2023

प्रथम अपर सिविल जज
जूडि०/जे०एम०
बलरामपुर।

Left attached
Tracts

अभिमानो,
प्रार्थना-पत्र लिखा
ymallw
09-02-23
जोकि प्रार्थना-पत्र की
एक प्रति प्राप्त किया
09-02-23

6/2/23

4/2

09.02.2023 Matter called, Adjournment of
 accused/applicant allowed for today.
 for 15.02.2023 for hearing.
 Au

15/02/23 Matter called, Adjournment of
 accused/applicant allowed with
 best opportunity. for for 22/02/23
 for hearing.
 Au

22.02.23 ~~मामलत आज सुनावले जाणारे होते पुरतोज
 झाले/अपेक्षित नाही/ नसलेल्या रजा
 निमित्त DACC (अ) कोर्टात अर्जोपस्थित
 झाले आहे/आज सुनावले जाणारे कोर्टात
 ही रजा/~~
 दिनांक 28.02.23 कोर्टात सुनावले जाणारे
 होईल.
 S.S.B.P.

28.02.23 ~~मामलत आज सुनावले जाणारे होते पुरतोज
 झाले/अपेक्षित नाही/ नसलेल्या रजा
 निमित्त DACC (अ) कोर्टात अर्जोपस्थित
 झाले आहे/आज सुनावले जाणारे कोर्टात
 ही रजा/~~
 दिनांक 04.3.23 कोर्टात सुनावले जाणारे
 होईल.
 S.S.B.P.

Self attested
 Au

Au

होमिंग डेपॉजिट 17.03.2023

4/3

16/3/23

17/03/2023

जमाना अर्पण/निष्ठा/सिद्धांत
सर्वोच्च न्यायालय/अपील/अपील
अपील/अपील/अपील
16/3/23 को प्राप्त हुआ/दस्तावेज
दस्तावेज/दस्तावेज
दिनांक 17.03.2023 को प्राप्त हुआ
पेश है।

S. J. BISO
B.P.

16-03-23 जमाना अर्पण/निष्ठा/सिद्धांत
दस्तावेज/दस्तावेज/दस्तावेज
B.P. का अर्पण की जाती है।

S. J. BISO

17-3-23

यह पत्रावली मां जनपद न्यायाधीश महोदय
के आदेशानुसार अत्र न्यायालय, बलरामपुर के यहाँ से
अंतरण करा प्राप्त हुआ, दर्ज रजिस्टर हो।

S. J. BISO
B.P.

17-03-2023

पत्रावली पत्र अर्पण
पर जारी के न्यायाधीश अर्पण
दस्तावेज/दस्तावेज/दस्तावेज
दस्तावेज

पत्रावली दिनांक 24.03.23
मजबूत/मजबूत/मजबूत

Self attested
S. J. BISO

24.02.2023

भाषा मद्र लभानत्र प्रार्थना
फर पेला प्रार्थी। आगेउठ रु
विस्तार भाषीवत्र इप मौरा प्रार्थना
फरतिना मया स्वीकर

०८
०५

ई वाज (फरावली जिनाउं ०५०५.२०२
पुनवठे फरध

SP. JUDGE
RJP

self attested

सी०एन०आर०नं०-यू.पी.बी.पी. 01003352023
 न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-158/2023

(रजिस्टर सं०-107/2023)

हामिद अली बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक-05.04.2023

आवेदक/अभियुक्त हामिद अली पुत्र अमजद अली, निवासी विशुनपुर टनटनवा, थाना पचपेडवा, जनपद बलरामपुर की ओर से मुकदमा अपराध सं०-71/2019, अन्तर्गत धारा-419, 420 भारतीय, दण्ड संहिता, थाना-पचपेडवा, जिला-बलरामपुर के अन्तर्गत धारा-438 दं०प्र०संहिता में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार अभियोजनपक्ष का यह केस है कि प्रार्थी एम.ए.बी.एड. पास बेरोजगार युवक है। प्रार्थी नौकरी के लिए दौड़ भाग कर रहा था कि विपक्षी जो प्रार्थी का परिचित था, विपक्षी ने प्रार्थी से पूर्व से अपने मदरसा अरबिया फैजुल उलूम पिपरी बनघुसरी में स्थित शिक्षक की नौकरी दिलाने के लिए कहा। प्रार्थी अपने डिग्री के सारे सर्टिफिकेट विपक्षी के पास जमा कर दिया तथा बराबर दौड़ भाग करता रहा। विपक्षी ने अपने मोबाइल नंबर 9721977730, 9198848586 से प्रार्थी के मोबाइल नंबर 80093316636 से भी बराबर सम्पर्क होता रहा। दिनांक-23.10.15 को विपक्षी ने प्रार्थी व उसके पिता जमील अहमद के समक्ष कहा कि नौकरी में 10 लाख रुपये लगेगा, नौकरी पक्की लगवा दूंगा। प्रार्थी अपने पिता व मो० हद्दीश, शमशाद व इरफान के साथ विपक्षी के पास आया और प्रार्थी ने दिनांक-23.10.15 को पैंतालिस हजार रुपये अपने पिता जमील अहमद के खाता संख्या-50145769648 से निकालकर दिया तथा दिनांक-06.11.15 व 24.11.15 को खाता संख्या 502766470641 से पचास हजार रुपये व खाता संख्या-90220100158316 ग्रामीण बैंक से निकाल कर विपक्षी को दिया। दिनांक-07.11.2017 व 22.11.2017, 23.11.2017 को प्रार्थी अपने व अपने पिता के खाता संख्या-50145769648 व 50276647064 व 50145769648 बरगदवा सेफ से तीस हजार व एक लाख दस हजार व पचास हजार रुपये निकालकर विपक्षी को दिया। पुनः दिनांक-14.12.2017, 21.12.2017 को प्रार्थी ने अपने खाता नंबर- 50276647064 व अपने पिता के खाता संख्या-150145769648 से पैंतीस हजार व पन्द्रह हजार व पच्चीस हजार जुमला पचहत्तर हजार विपक्षी को दिया। दिनांक-16.02.2018 को प्रार्थी ने अपने खाता संख्या-5006126299 विशुनपुर टनटनवा अपने खाते से चालीस हजार रुपये निकालकर विपक्षी को दिया। दिनांक-23.11.17 को चेक संख्या 035561 से रुपये पचास हजार प्रार्थी ने विशुनपुर टनटनवा इलाबाद बैंक से व दिनांक-8.12.2017 को चेक नं०-2893 से पचास हजार रुपये, तथा दिनांक-29.12.2017 को चेक

Self attested


For

संख्या-009341 से एक लाख रुपये तथा चेक संख्या-009343 से पचास हजार रुपये तथा दिनांक-19.03.2018 को चेक संख्या-009348 से एक लाख रुपये व दिनांक-23.05.18 को चेक संख्या-009350 से एक लाख रुपये विपक्षी को दिया। इन सारे रुपये के लेनदेन के समय प्रार्थी के साथ उसके पिता जमील अहमद व हददीस, इरफान, शमशाद आदि लोग मौजूद थे। प्रार्थी, विपक्षी के पास नौकरी हेतु दौड़ता रहा किन्तु विपक्षी टाल-मटोल करता रह गया। विपक्षी ने प्रार्थी को धोखा देकर बेईमानी पूर्ण आशय से उपरोक्त धनराशि प्रार्थी से लिया है तथा दिनांक-15.02.2019 को प्रार्थी ने विपक्षी ने अन्तिम रूप से रुपये वापस देने से मना कर दिया तथा मों बहन की भद्दी-भद्दी गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत मामला अजमानतीय प्रकृति का है तथा प्रश्नगत मामले में प्रार्थी के तत्काल गिरफ्तार किये जाने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी निर्दोष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा-156(3) दं0प्र0सं0 के तहत धारा-419, 420, 504, 506, 352 भारतीय दण्ड संहिता के तहत फर्जी तरीके से लिखा दिया था, विवेचनोपरान्त धारा-419, 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या-446/22 प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.02.2022 के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.12.2019 अपास्त करते हुए पत्रावली का परिशीलन करके आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थी पर लगाया गया सभी आरोप फर्जी है और न ही प्रार्थी किसी की नौकरी लगवाता है। प्रार्थी एक शिक्षक है तथा उस पर लगाया गया आरोप बिल्कुल फर्जी व निराधार है तथा प्रार्थी एक सम्मान्त व्यक्ति है और प्रार्थी की छवि धूमिल करने के लिए फर्जी तरीके से मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थी पर लगाया गया सभी आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। इसी मुकदमें से सम्यन्धित मुकदमा धारा-138 एन.आइ. एक्ट के तहत विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। प्रकार आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा यादी मुकदमा को नौकरी देने का झोंसा देते हुए बड़नियती व बेइमानीपूर्वक लाभ लेने हेतु रुपये ऐंठने का अपराध कारित किया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

सुना तथा अवलोकन किया

Self attested


3.
प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त परवादी मुकदमा को नौकरी देने का प्रोसा देते हुए बड़नियती व वेइमानी से लाभ लेने हेतु रुपये ँटने का कथन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन अपराधियों को संरक्षित करने अथवा उन्हें कारागार जाने से निवारित करने का नहीं है, जिनके विरुद्ध अनैतिकता, भ्रष्ट आचरण, आर्थिक अपराध, असत्यनिष्ठ व्यवहार, शरीर एवं सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध आदि का आरोप हो तथा प्राथमिक स्तर पर ही उनके विरुद्ध किये गये अभिकथनों में रवाभाविकता, युक्तियुक्तता एवं सदाशयता प्रकट होती हो। अन्य शब्दों में, अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन अपराधियों को अनुचित संरक्षण प्रदान करने का नहीं है जिनका उद्देश्य नियमित जमानत के समय कारागार जाने से मात्र प्रतिरक्षा प्राप्त करने का हो तथा विकल्प के रूप में अग्रिम जमानत सम्वन्धी विधिक प्राविधानों के दुरुपयोग करने का हो। इसी प्रकार अग्रिम जमानत का उद्देश्य नियमित जमानत सम्वन्धी प्राविधानों को निष्फल करने का नहीं है बल्कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य उन व्यक्तियों को संरक्षित करने का है जब प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हो कि वे अभिकथन उस व्यक्ति को अपमानित करने या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किये गये हैं और उस व्यक्ति के द्वारा विश्वसनीय, पर्याप्त एवं विशिष्ट कारण दर्शित किया गया हो जिसका इस प्रकरण में सर्वथा अभाव है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु कथित रूप से आवेदक की सोहरते आम अच्छी होना व सम्मानित होने का मात्र लिखित अथवा मौखिक कथन पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी के अनुसार वर्तमान प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय आ चुका है और दौरान विवेचना उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गयी है, न ही प्रार्थी ने उसके प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई जिक्र किया है कि कब उसे विवेचक पकड़ने गया था या पकड़ने की घमकी दी थी।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-05.04.2023

mm
25/04/23
(जहेन्द्र पाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।
ज०ओ० कोड-यू०पी० 6434

mm
25/04/23

Seafarist

Seafarist

7-423 साजगह पत्रावली आजीवीप-आतकज विशेष-प्रापदी
(साकलो मेल) / आण लज-आपघीश, कलागड के यहीं है
मातलमानत आदेश दिने 5423 जगमतेका 158/2023
हाजीर कहीरवला अण्ड डुका | मेवतोलन लिजा

आदेश
पत्रावली दिने 05/5/23 को ताते हाजीर कहीरवला है

IACTD/SM

18/5/23
आजीवीप कार्यक्रम
शाह
18/5/23

~~5-5-23~~ ~~6-5-23~~ 18-5-23

पत्रावली पेश डुका | आजीवीप कार्यक्रम हाजीर है
पत्रावली दिने 18-5-23 को ताते हाजीर कहीरवला है

IACTD/SM

29/5/2023
आजीवीप कार्यक्रम शाह

18-5-23
~~19-5-23~~ पत्रावली पेश डुका | आजीवीप कार्यक्रम हाजीर
पत्रावली दिने 29-5-23 को ताते हाजीर कहीरवला है

IACTD/SM

12/6/23
आजीवीप कार्यक्रम शाह

29-5-23 पत्रावली पेश डुका | आजीवीप कार्यक्रम हाजीर
पत्रावली दिने 12-6-23 को ताते हाजीर कहीरवला है

IACTD/SM

Self attested

Shank